

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक जून, 2014

पत्र संख्या-1/एल01-10-03/2007 गृ0आ0 / श्री अमृत राज, भा0पु0से0 (1998), पुलिस उप-महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 15.06.2014 से 13.08.2014 तक कुल 60 (साठ) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री राज के अवकाश अवधि में पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस उप-महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-03/2007 गृ0आ0 / पटना, दिनांक जून 2014

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-03/2007 गृ0आ0 / पटना, दिनांक जून 2014

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-03/2007 गृ0आ0 / पटना, दिनांक जून 2014

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-03/2007 गृ0आ0 4828 / पटना, दिनांक 12 जून 2014

प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री अमृत राज, भा0पु0से0 (1998), पुलिस उप-महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर/पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।